संख्या- 15/2022/340/78-2-2022-1618782

प्रेषक,

बराती लाल,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 13 जून,2022

विषय: उ0प्र0 पुलिस की समस्त इकाइयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु यूपीडेस्को द्वारा 100 TB Storage एवं अन्य उपकरणों / हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-आईसीपी 9064 (2021-22)/983, दिनांक 30-03-2022 एवं सहायक प्रबन्धक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-आईसीपी 9064 (2022-23)/997, दिनांक 08-04-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 पुलिस की समस्त इकाइयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु स्टेट डाटा सेन्टर पर 1500 यूजर्स के दृष्टान्त (Instance) के सृजन हेतु यूपीडेस्को द्वारा 100 TB Storage एवं अन्य उपकरणों / हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-1,65,00,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
5. धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है उसे राज कोष में जमा किया जायेगा।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी / यूपीडेस्को द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-12-2021 एवं शासनादेश दिनांक 29-03-2022 एवं इस सम्बन्ध पर समय-समय पर जारी सुसंगत दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "4859-उद्योग- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-02 इलेक्ट्रानिक -800-अन्य निवेश-16 शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था-42-अन्य व्यय" के नामे डाल जायेगा।
9. यह आदेश दिनांक 02-06-2022 को प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
बराती लाल
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ नियोजन अनु0-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।